2024/317

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री प्रेमाराम पुत्र श्री गमनाजी निवासी हस्तिनापुर, कालन्द्री तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 71 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहंत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 08.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नवारा बांध व सम्पूर्ण सिरोही जिले में डाउनस्ट्रीम में आए हुए ट्यूबवेल व ओपनवेल(बोरवेल) व उनसे पूर्व में नवारा बांध व अन्य बांध को क्या क्षति हुई है व उसकी समस्त जांच रिपोर्ट एवं उक्त सम्बन्ध में जिला परिषद सिरोही द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है। उसकी मय नजरी नक्शा सम्पूर्ण जांच मय नतीजों से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 08.01.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नवारा बांध व सम्पूर्ण सिरोही जिले में डाउनस्ट्रीम में आए हुए ट्यूबवेल व ओपनवेल(बोरवेल) व उनसे पूर्व में नवारा बांध व अन्य बांध को क्या क्षति हुई है व उसकी समस्त जांच रिपोर्ट एवं उक्त सम्बन्ध में जिला परिषद सिरोही द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है। उसकी मय नजरी नक्शा सम्पूर्ण जांच मय नतीजों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के प्रथम एवं द्वितिय अपील अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति [illegible]ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–[illegible] फैसला शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Alpa Choudhary Date: 2025.02.12 15:43:34 IST Reason: SelfAttested (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner